

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालोतरा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प उमरखै

-:आदेश:- 178/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उमरखै व भू.अ.नि. का.रा.रा. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार असोल / नायब तहसीलदार असोल की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उमरखै तहसील पत्रघटा व जिला बांसवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 112 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01.	उमरखै खालसा	112	सोनाराम 5/0 जणेशा	सोनाराम 5/0 जणेशाराम

(पीठासीन अधिकारी)
 (मार्गीक असात्रे)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 बालोतरा कैम्प

दिनांक :-

क्रमांक :- 598-600

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पत्रघटा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री सोनाराम 5/0 जणेशाराम को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(पीठासीन अधिकारी)
 (मार्गीक असात्रे)
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 बालोतरा कैम्प